

संख्या- 302/17-7-131531/2021

श्री. राम कुमार,
विश्व सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा सं.

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, तृतीय केंद्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

तखत: दिनांक: 4 मई 2022

विषय:- श्री गुलाब राय मांटेसोरी स्कूल नवीनीकरण रोक रोकने की प्रार्थनापत्रिका नई दिल्ली से संख्या 302/17-7-131531/2021 के तहत जारी की गई है।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर श्री राम कुमार का पत्र प्राप्त हुआ है कि श्री गुलाब राय मांटेसोरी स्कूल नवीनीकरण रोक रोकने की प्रार्थनापत्रिका नई दिल्ली से संख्या 302/17-7-131531/2021 के तहत जारी की गई है।

- 118 विधानलय की प्रोजेक्ट समीक्षा की तमाम-तमाम पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विधानलय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विधानलय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चोंके लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानुमत विधानलयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानलय माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात् वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधानलय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र0 मा0 शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(Signature)
Manager

(Signature)
Principal

- 151 संस्था ऐहिक स्व शिक्षणालय कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेंगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व-निर्माण के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेंगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेंगा ।

भवदीय,

पृ०सं०-

111/15-7-तदु दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~लखनऊ~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~लखनऊ~~ ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, 30 प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, ~~श्री गुलाब राय कर्मवीर ज्युनिअर सी. एस. स्कूल, लखनऊ~~ ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा से,

~~श्री गुलाब राय कर्मवीर ज्युनिअर सी. एस. स्कूल, लखनऊ~~


Manager
Shri Gulab Rai Montessori Sr. Sec. School
Bareilly


Principal
Shri Gulab Rai Montessori Sr. Sec. School
Bareilly